

श्रमेव जयते !



पटना नगर निगम स्टॉफ यूनियन

नि० सं० 1089/64

सम्बद्धता 11972

सत्यमेव जयते !



राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) से सम्बद्ध

मुख्यालय-भंवर पोखर, पटना

पत्रांक.....
सेवा में,

दिनांक.....

नगर आयुक्त,

पटना नगर निगम,

पटना

विषय:- पटना नगर निगम के जलापूर्ति शाखा में धड़ल्ले से हो रहे अवैध नियुक्तियों के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के क्रम में कहना है कि पटना नगर निगम की जलापूर्ति शाखा में नियुक्तियों का बाजार गर्म है और दैनिक मजदूरों के रूप में पैसा लेकर अवैध नियुक्तियों की जा रही है।

मैंने आपसे हुई वार्ता के दौरान भी इसके बारे में चर्चा की है कि पटना नगर निगम के विभिन्न अंचलों एवं जलापूर्ति शाखा में दैनिक मजदूरों की नियुक्ति एवं निष्कासन का कुछ लोगों ने धंधा बना लिया है।

इस पत्र के माध्यम से आपको पुनः कहना चाहते हैं कि जलापूर्ति शाखा में कुशल श्रेणी के मजदूरों की आवश्यकता होती है साथ ही कार्यालय आदि कार्यों के लिए भी विभिन्न पदों की योग्यता निर्धारित है। इधर हाल के दिनों में कुछ खास लोगों के नाम पर इन कार्यों के लिए धड़ल्ले से दैनिक मजदूर के रूप में नियुक्तियों की जा रही है। इन नियुक्तियों में आरक्षण का भी पालन नहीं हो रहा है और न ऐसे नियुक्तियों को करने के लिए कोई वैध तरीका ही अपनाया गया है।

ज्ञातव्य हो कि पटना नगर निगम के विभिन्न अंचलों, जलापूर्ति शाखा सहित में वर्षों से कार्यरत दैनिक मजदूरों की सेवाओं को नियमित करने के अतिरिक्त उन्हें अन्य सुविधाओं को देने की मांग पटना नगर निगम स्टॉफ यूनियन (इंटक) की ओर से लगातार की जा रही है और इस संबंध में निगम के साथ समझौते भी हुये हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यह अच्छा मौका है जब दैनिक मजदूरों की नियुक्ति/निष्कासन को धंधा बनाकर अवैध कमाई की जा सकती है और यह धंधा निगम में अब चल पड़ा है।

उपरोक्त स्थिति के आलोक में इस पत्र के माध्यम से हमलोग निम्नलिखित बातों की ओर आपका ध्यानाकृष्ट करना चाहते हैं कि :-

- (1) तत्काल माह जनवरी, 2016 के बाद से दैनिक मजदूर के रूप में की गई नियुक्ति/निष्कासन की समीक्षा कर इसकी जाँच की जाये कि कितने दैनिक मजदूर नियुक्त किये गये और कितने निष्कासित किये गये। क्या इन नियुक्तियों में रूपये का लेन-देन हो रहा है ? क्या इसमें कुछ खास लोगों के नाम पर नियुक्तियाँ हो रही है ? क्या इसमें कुछ लोग अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं ?
- (2) जलापूर्ति शाखा अथवा अन्य अंचलों में नियमित दैनिक मजदूर के रूप में नियुक्त किये जा रहे इन मजदूरों का कभी भौतिक निरीक्षण अथवा पुलिस वेरीफिकेशन कराया गया है ? क्या इन मजदूरों के नियुक्ति की कोई प्रक्रिया निगम प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया है ? क्या इन नियुक्तियों में निर्धारित आरक्षण का पालन हो रहा है ?
- (3) निगम के विभिन्न अंचलों एवं जलापूर्ति शाखा में हो रहे दैनिक मजदूरों की मनमानी एवं पक्षपातपूर्ण नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाने के पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है ?

पत्राचार का पता - राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) बोरिंग रोड, पानीटंकी, पटना-800 013

फोन : 0612-2278140, मो : 94310-16951, 9334110654

